www.ecourtsindia.com

न्याया0–विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.),जबलपुर म0प्र0

आई.ए.क्रं.439/01/2021

23.02.2021

अभियुक्त छोटू उर्फ अनुराग ठाकुर प्रोडक्शन वारंट से केन्द्रीय कारागार जबलपुर से प्रस्तुत, उसकी तरफ से अधिवक्ता श्री ए.के.द्विवेदी उपस्थित।

शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कृष्णा प्रजापति उपस्थित।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभियुक्त छोटू उर्फ अनुराग ठाकुर की अनुपस्थिति में दिनांक 25.09.2019 को अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया कि वह अन्य प्रकरण में जेल में निरूद्ध है। इसके उपरांत अभियुक्त अनुराग ठाकुर प्रकरण में प्रोडक्शन वारंट से दिनांक 10.02.2020 को प्रस्तुत हुआ परंतु उसका जेल वारंट तैयार नहीं किया गया एवं प्रोडक्शन वारंट से ही केन्द्रीय कारागर जबलपुर से प्रस्तुत होता रहा। अभियुक्त छोटू उर्फ अनुराग ठाकुर इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र नहीं है। अतः उसका जेल वारंट तैयार किया जाए।

प्रकरण आज छोटू उर्फ अनुराग ठाकुर के दिनांक 19.02.2021 को प्रस्तुत जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15क के प्रावधान के तहत फरियादी/पीड़ित नरेन्द्र को नोटिस जारी किया गया था उसके द्वारा दिनांक 22.02.2021 को उपस्थित होकर जमानत दिए जाने में आपत्ति व्यक्त की गई थी।

अभियुक्त के दंप्रसं की धारा 439 के प्रथम नियमित जमानत आवेदन (आई.ए.क्रं.439/01/2021) पर उभयपक्ष का तर्क सुना गया। अभियोजन के द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

जमानत आवेदन के अनुसार दं.प्र.सं. की धारा 439 के अंतर्गत अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन न तो माननीय उच्च न्यायालय में और न ही अन्य न्यायालय में लंबित है और न ही निराकृत किया गया है। इस अपराध के सभी अभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है। अभियुक्त का अपराध उनसे गुरूत्तर नहीं है। अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त जमानत की शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः अभियुक्त को समानता के सिद्धांत के आधार पर नियमित जमानत पर स्वतंत्र किया जाए।

आवेदन के समर्थन में श्रीमती पिंकी परते का शपथ पत्र पेश किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध भा.दं.वि.

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010315662019-orderno-1.pdf

की धारा 294, 307/149, 148, 506 भाग–दो तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v), 3(2)(va) के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। इस अपराध के अन्य सह अभियुक्तगण कृष्णा यादव, सुल्तान बेन, उल्ला उर्फ आकाश कोरी एवं इक्कू उर्फ विक्रांत ठाकुर की जमानत हो चुकी है तथा अभियुक्त छोटू उर्फ अनुराग का अपराध अन्य आरोपीगण के अपराध से गुरूत्तर नहीं है। अतः अभियुक्त भी जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः विचारोपरांत अभियुक्त का प्रथम नियमित जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश किया जाता है कि यदि अभियुक्त छोटू उर्फ अनुराग ठाकुर के द्वारा प्रकरण की प्रत्येक पेशी में उपस्थित रहने के लिए **50,000 (पचास हजार) रूपए की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र** प्रकरण की प्रत्येक पेशी में उपस्थित रहने के लिए इस शर्त का प्रस्तुत किया जाए कि अभियुक्त दंप्रसं की धारा 437(3) की शर्तों से आबद्ध रहेगा तो उसे जमानत पर स्वतंत्र किया जाए।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत दिनांक 23.03.2021 को प्रस्तुत हो।

SATISH CHANDRA RAI
Digitally signed by SATISH CHANDRA RAI
Date: 2021.02.23 16:48:24 +0530

(एस.सी.राय)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी)
जबलपुर (म.प्र.)

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010315662019-orderno-1.pdf